दक्षिण पश्चिम रेलवे / SOUTH WESTREN RAILWAY
महाप्रबंधक कार्यालय, राजभाषा विभाग/Office of the General Manager, RajbhashaDepartment
रेल सौध, गदग रोड, हुब्बल्लि/ Rail Soudha, Gadag Road, Hubballi-580020
फोन न Phone no. 0836-23-25034/18 ई-मेल Email: srrba.swr.ubl@gmail.com

स. दपरे/रा भा 329/आरटीआई/93 Date : 01-10-2026

To,
Shri Goutham Ganesh M H
[redacted]

Subject: Information sought under RTI Act 2005 - Application No. SWRBD/R/T/26/00374 transferred on 16-09-2026 regarding OM No. 14013/04/2022 dt. 21.06.2022.

Ref: 1. OM No.14013/04/2022 dt. 21.06.2022 issued by Dept. of Official Language, MHA.
2. Your RTI application dated 16-09-2026 received via SWR Bengaluru Division.

<<<>>>

उपर्युक्त संदर्भित RTI आवेदन के संबंध में अपेक्षित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है जो निम्नलिखित बिंदुवार प्रस्तुत है :

Sl.No.	Information sought for	Railway's Remarks
1	Copies of all circulars, office orders, instructions and guidelines issued by the organization for implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 regarding the use of regional languages in public information displays, boards and nameplates.	**Please See Annexure - I**
2	Details of the action taken to ensure the use of Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, directional signage, reception displays and digital display boards installed at the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.	**Please See Annexure - II**
3	Copies of inspection reports, compliance reports, internal audits or review reports prepared to verify implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.	
4	Copies of file notings, correspondence and communications relating to corrective measures taken wherever non-compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 was observed in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.	
5	Details of the officer or department responsible for monitoring and ensuring compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	**Rajbhasha Dept., HQ/ SWR & its subordinate offices**

यदि आप उपलब्ध कराई गई जानकारी से असंतुष्ट हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

Enclosures: As above

01/10/2026.
राजभाषा अधिकारी/ Rajbhasha Adhikari
कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स./दपरे
For MRA & PFA/SWR
O/C 01/10/26

प्रतिलिपि सलग्न /Copy To :
DGM (G) & CPIO/HQ/SWR-for kind information pls.

दक्षिण पश्चिम रेलवे / SOUTH WESTREN RAILWAY
महाप्रबंधक कार्यालय, राजभाषा विभाग/Office of the General Manager, RajbhashaDepartment
रेल सौधा, गदग रोड, हुब्बल्लि/ Rail Soudha, Gadag Road, Hubballi-580020
फोन न .Phone no. 0836-23-25034/18 ई-मेल Email: srrba.swr.ubl@gmail.com

सं. दपरे/रा.भा.329/आरटीआई/93 Date : 28-09-2026

To,
Shri Goutham Ganesh M H
[redacted]

Subject: Information sought under RTI Act 2005 - Application No. SWRBD/R/E/26/00336 transferred on 29.08.2026 regarding OM No. 14013/04/2022 dt. 21.06.2022.

Ref: 1. OM No.14013/04/2022 dt. 21.06.2022 issued by Dept. of Official Language, MHA.
2. Your RTI application dated 29.08.2026 received via SWR Bengaluru Division.

<<<>>>

उपर्युक्त संदर्भित RTI आवेदन के संबंध में अपेक्षित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है जो निम्नलिखित बिंदुवार प्रस्तुत है :

Sl.No.	Information sought for	Railway's Remarks
1	Copies of all circulars, office orders, instructions and guidelines issued by the organization for implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 regarding the use of regional languages in public information displays, boards and nameplates.	**Please See Annexure - I**
2	Details of the action taken to ensure the use of Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, directional signage, reception displays and digital display boards installed at the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.	**Please See Annexure - II**
3	Copies of inspection reports, compliance reports, internal audits or review reports prepared to verify implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.	
4	Copies of file notings, correspondence and communications relating to corrective measures taken wherever non-compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 was observed in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.	
5	Details of the officer or department responsible for monitoring and ensuring compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	**Rajbhasha Dept., HQ/ SWR & its subordinate offices**

यदि आप उपलब्ध कराई गई जानकारी से असंतुष्ट हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

Enclosures: As above

28/09/2026
राजभाषा अधिकारी/ Rajbhasha Adhikari
कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स./दपरे
For MRA & PFA/SWR

प्रतिलिपि संलग्न /Copy To :
DGM (G) & CPIO/HQ/SWR-for kind information pls.

ANNEXURE -J

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2026/प्र.-11/1

नई दिल्ली, दिनांक: 18 .06.2026

महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	महानिदेशक
मध्य रेलवे, मुंबई	पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	भा.रे.सं.अकादमी, वडोदरा
पूर्व रेलवे, कोलकाता	पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर	अ.अ.मा.सं., लखनऊ
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	इरिसेन, पुणे
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	इरिमी, जमालपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे,	दक्षिण पश्चिम रेलवे,हुब्बल्लि	इरिसेट, सिकंदराबाद
मालीगांव, गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)	इरिएन, नासिक रोड
दक्षिण रेलवे, चेन्नै	मालीगांव, गुवाहाटी	इरिटिम, लखनऊ
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद	रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज	इरिफिम, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	बरेका, वाराणसी	प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	सडिका, चेन्नै	पटियाला रेल इंजन कारखाना,पटियाला
मेट्रो रेलवे, कोलकाता	रेडिका, कपूरथला	
पश्चिम रेलवे, मुंबई	चिरेका, चित्तरंजन	
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	रेपका, बेंगलुरु	
	आ.रे.डि.का., रायबरेली	

विषयः रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 18.02.2026 को माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) की अध्यक्षता में आयोजित 'रेलवे हिंदी सलाहकार समिति' की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत राजभाषा के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के प्रयोजन से समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त की मद सं. 6.2 एवं 10.9 पर सुझाव दिए गए हैं। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाएं और की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को अवगत कराएं।

संलग्नक-यथोक्त

18/6/26

(डॉ. वी.सुगुणा)
निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुब्बल्लि-580020
525/
दिनांक
24/06/2026
Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office,
SWR, Gadag Road, Hubballi-580020

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी/समिति/2026/38/01 नई दिल्ली, दिनांक:21.05.2026

विषय: दिनांक 18 फरवरी, 2026 को आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के संबंध में माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) श्री रवनीत सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2026 को आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कार्यवृत्त की संबंधित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को निदेश देने तथा की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का अनुग्रह करें।

21/5/26
(डॉ.वी. सुगुणा)
निदेशक/राजभाषा
एवं
सदस्य सचिव, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति/रेल मंत्रालय
फोन नं. 011-23303380

सं. हिंदी/समिति/2026/38/01 नई दिल्ली, दिनांक: .05.2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ
2. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
3. महानिदेशक, इरिसेन/पुणे, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिएन/नाशिक रोड।
4. मुख्य राजभाषा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
5. रेलवे बोर्ड के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों के प्रमुख।
6. सभी रेलों के मंडल रेल प्रबंधक।
7. सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली, सिटी सेंटर-II, भवन, 'सी' विंग, चतुर्थ तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110003

21/5/26
(डॉ.वी. सुगुणा)
निदेशक/राजभाषा
एवं
सदस्य सचिव, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति/रेल मंत्रालय

Scanned with OKEN Scanner

माननीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2026 को रेल भवन में आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 12.00 बजे रेल भवन के विचार (सम्मेलन कक्ष) में आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

1. महानिदेशक (मानव संसाधन) का स्वागत संबोधन

महानिदेशक (मानव संसाधन), रेलवे बोर्ड ने रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक में माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) श्री रवनीत सिंह जी एवं माननीय रेल राज्य मंत्री (एस) श्री वी. सोमन्ना जी, माननीय संसद सदस्य, समिति के अन्य गणमान्य सदस्यों तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इस बैठक में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों से भारतीय रेल को नई दिशा मिलेगी और राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में और वृद्धि होगी।

2. सदस्य सचिव द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

समिति की सदस्य सचिव के रूप में निदेशक, राजभाषा ने रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 05.05.2022 को संपन्न 61वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। साथ ही 31.12.2025 को समाप्त छमाही के दौरान रेलवे बोर्ड में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण भी प्रस्तुत किया।

माननीय सदस्यों के सुझाव

3. श्री कुन्तक मिश्र

श्री मिश्र जी ने निम्नानुसार अपने सुझाव दिए:-

3.1 सभी हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में राजभाषा प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए, ताकि कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बल मिल सके।

(कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण))

6.1 'सामुदायिक वेदी' जैसी नई संकल्पना को लागू करते हुए 'ख' और 'ग' क्षेत्र में रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर स्थानीय भाषा व राजभाषा दोनों का प्रयोग करते हुए चर्चा-परिचर्चा की जाए, जिससे उन क्षेत्रों में कार्यरत लोग क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा को भी अपना सकें।

(कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण) एवं रेलवे खेलकूद संवर्द्धन बोर्ड)

6.2 रेल कार्यालयों में सरल हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित लीला ऐप का उपयोग किया जाए।

(कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण) एवं राजभाषा-I)

6.3 रेल कार्यालयों में पदोन्नति के मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान रखने पर वरीयता दी जाए।

(कार्रवाई:सचिव की संबद्ध शाखाएं एवं राजभाषा-I)

6.4 रेलवे के वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा टिप्पणियों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, जिससे अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी भी प्रेरित हों।

(कार्रवाई: राजभाषा-II)

7. श्रीमती संध्या लाल

7.1 अंडमान और निकोबार में रेलवे का कोई भी नेटवर्क नहीं है। चूंकि हिंदी के प्रयोग-प्रसार का सबसे सुगम माध्यम रेलवे है, इसलिए अंडमान और निकोबार में रेल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे अंडमान और निकोबार का 8249 कि.मी. क्षेत्रफल वाला आइलैंड/द्वीप रेल नेटवर्क से जुड़े और हिंदी का भी समुचित प्रयोग-प्रसार हो।

(कार्रवाई: कार्यपालक निदेशक गतिशक्ति, सिविल-I)

8. श्री जयराम विप्लव

8.1 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा होती है उसे ई-मेल के माध्यम से बैठक के आयोजन से पहले ही प्रेषित कर दिया जाए।

(कार्रवाई: हिंदी (समिति))

8.2 सरकारी कामकाज में हिंग्लिश के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाए, ताकि हिंदी भाषा की गरिमा बनी रहे।

(कार्रवाई: राजभाषा-II)

8.3 सरकारी दस्तावेज़ों में सरल एवं मानकीकृत हिंदी शब्दों का उपयोग हो और यह दस्तावेज़ डिजिटल और मुद्रित रूप में भी उपलब्ध हो जिससे रेलवे में नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(कार्रवाई: हिंदी (विशेष)I)

9. डॉ.अरुण कुमार

9.1 सभी रेल कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संवैधानिक दायित्व के प्रति अवगत कराए और उनसे राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित कराए।

(कार्रवाई: राजभाषा-II)

10. श्री राजकुमार चाहर, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

10.1 प्रतिवर्ष हिंदी सलाहकार समिति की चार बैठकें आयोजित की जाएं। साथ ही यह बैठकें दिल्ली से बाहर विशेष कर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में भी आयोजित की जाएं।

(कार्रवाई: हिंदी (समिति))

10.2 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को 'भारतीय रेल' तथा 'रेल राजभाषा' पत्रिकाओं का सदस्य बनाया जाए, ताकि सदस्यों को पत्रिकाओं की प्रति उन्हें नियमित रूप से प्राप्त होती रहे।

(कार्रवाई: जनसंपर्क निदेशालय, हिंदी (पत्रिका))

10.3 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में नामपट्ट सदस्यों के नाम एवं पदनाम सहित लगवाए जाएं।

(कार्रवाई: हिंदी (समिति))

10.4 बैठक की सूचना एवं कार्यसूची अग्रिम रूप में उपलब्ध कराई जाए ताकि समिति के सदस्य भी समय से अपने-अपने सुझाव दे सकें।

(कार्रवाई: हिंदी (समिति))

10.5 रेलवे स्टेशनों पर सभी साइन बोर्ड नियमानुसार लगाए जाएं।

(कार्रवाई: राजभाषा-I)

10.6 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को सितंबर, 2025 के दौरान हिंदी पखवाड़े के अवसर पर किए गए कार्यक्रमों/आयोजनों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

(कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण))

10.7 अगली बैठक बटेश्वर में आयोजित करने की सलाह दी। बटेश्वर अटल जी की जन्मस्थली है एवं एक पौराणिक स्थल है।

(कार्रवाई: हिंदी (समिति))

10.8 रेलगाड़ियों में महिलाओं/वृद्धजनों/दिव्यांगजनों के लिए एक पैनिक बटन की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

(कार्रवाई:कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (कोचिंग))

10.9 पौराणिक स्थल के स्टेशनों पर भी कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएं।

(कार्रवाई:हिंदी(प्रशिक्षण))

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी- 2012/रा.भा.-1/19/01 दिनांक :- 14 /07/2026

1. महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ,
2. अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड,
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक सभी उपक्रम,
4. सभी प्रशिक्षण संस्थान.

विषय:- भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में।

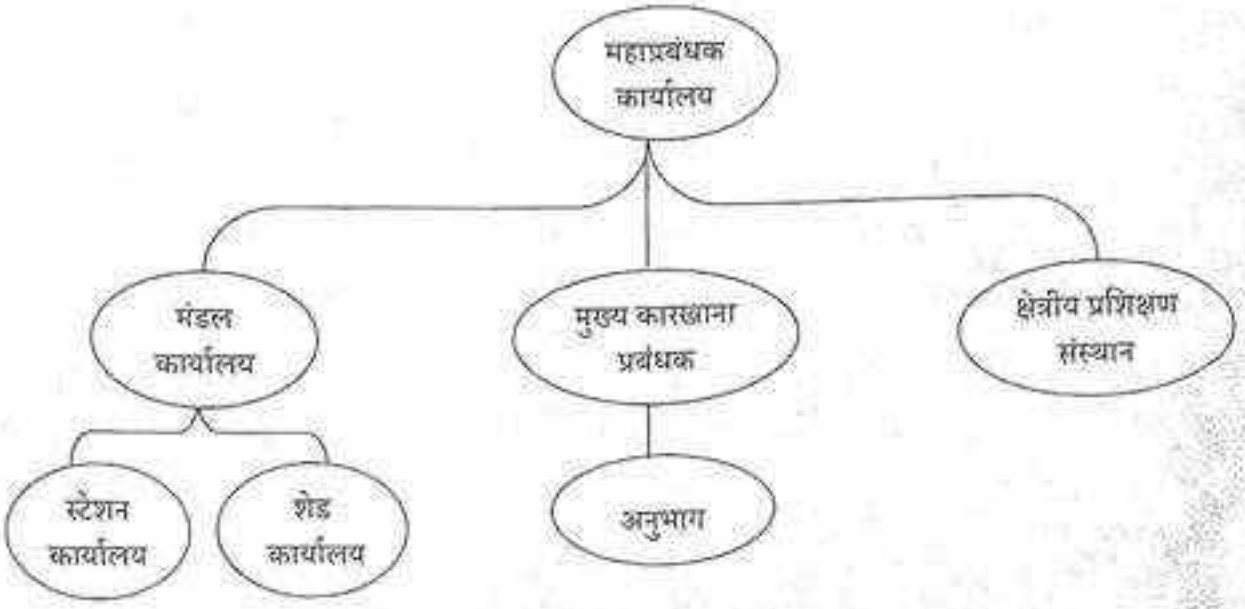
संदर्भ:- बोर्ड कार्यालय का दिनांक 16.12.2020, 23.12.2021, 18.04.2024, 05.01.2026 तथा 30.03.2026 का समसंख्यक पत्र।

भारतीय रेल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेल भर्ती बोर्डों इत्यादि के मुख्यालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार का जायजा लेने हेतु संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिंदी की प्रगति की निरीक्षण एवं समीक्षा किया जाता है। इसके अलावा, संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। सभी कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने का हरसंभव प्रयास किया जाए।

बोर्ड कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली की मदों को त्रुटि रहित भरने तथा सरल बनाने हेतु अनुपालनार्थ ध्यान देने योग्य दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी क्रम में, संसदीय राजभाषा समिति के हाल के निरीक्षणों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं/त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख द्वारा अनिवार्यतः भाग लिया जाना चाहिए। यदि कार्यालय इस समिति का सदस्य नहीं है तो इसकी सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए।
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में अनिवार्यतः नियमित अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए।
3. प्रत्येक कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर के उपरांत ही मुख्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
4. मुख्यालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार 30% (न्यूनतम) अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निरीक्षण का क्रम निम्नानुसार होना अपेक्षित है-

SOUTH WESTERN RAILWAY
SOUTH WESTERN RAILWAY



उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम-1976 के नियम-12 के अनुसार *'केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो'।*

अतः उपर्युक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मदों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं।

14/7

(विनीता वर्मा)
कार्यपालक निदेशक (स्थापना)/एल.एल.
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-
हिंदी अधिकारी, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुबलि-580020
55 4/
16/07/JUL/2026
Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office,
SWR, Gadag Road, Hubballi-580020

सभी को सूचित करें
संतोष
17/7/26

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2011/रा.भा.-1/8/1 दिनांक:- 03/02/2026

1. महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक सभी उपक्रम.
3. सभी रेल प्रशिक्षण संस्थान.
4. सभी रेल भर्ती बोर्ड.
5. रेल सुरक्षा विशेष बल, (बल मुख्यालय), दयाबस्ती.

विषय:- हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. बोर्ड कार्यालय का दिनांक 15.06.2017, 24.06.2020 व 10.01.2024 का समसंख्यक पत्र।
2. बोर्ड कार्यालय का दिनांक 23.08.2021 का पत्र सं. हिंदी 2021/रा.भा.1/23/8

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड कार्यालय के संदर्भाधीन पत्रों का अवलोकन करें, जिसके तहत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 28.05.2017 के का.ज्ञा. सं. 14013/07/2010-राभा(नीति-1) व दिनांक 07.04.2011 के का.ज्ञा. सं.14013/07/2010(नीति-1) को परिपत्रित करते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में प्रयुक्त बोर्डों, साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों आदि पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रिभाषा नीति के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन पर विशेष ध्यान देते हुए राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था।

इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 04.12.2023 के अ.शा. पत्र सं.14013/07/2010-राभा(नीति) के तहत हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' एवं 'ग' भाषा क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्डों, नामपट्टों, दिशा-संकेतकों आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि बोर्डों, नामपट्टों, दिशा-संकेतकों आदि का संबंध आम-जनता से जुड़ा होता है तथा इनके संबंध में बोर्ड कार्यालय में माननीय सांसदों/विधायकों आदि के अभ्यावेदन तथा आरटीआई आदि प्राप्त होते रहते हैं।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्रों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों पर विशेष ध्यान देते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रिभाषा नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

अमरीक 03/02/26

(अमरीक लाल)
संयुक्त निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:- बोर्ड कार्यालय की टीजी-4 तथा डब्ल्यू-II शाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

(14/8)

सं. हिंदी 2011/रा.भा.1/8/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2024

महाप्रबंधक, (राजभाषा)
मध्य रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे, चैन्ने
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
पश्चिम रेलवे, मुंबई
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

महाप्रबंधक, (राजभाषा)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मैट्रो रेलवे, कोलकाता
सडिका, चैन्ने
रेडिका, कपूरथला
चिरेका, चित्तरंजन
रेपका, बैंगलूरु

महानिदेशक
भारतीय रे.सा.अकादमी, वडोदरा
इरीसेन, पुणे
इरीसेट, सिकंदराबाद
इरीएन, नासिक रोड
प्रबंध निदेशक
डीएफसीसीएल, नई दिल्ली
क्रिस, नई दिल्ली
उपाध्यक्ष,
रेल भूमि विकास नि.लि., नई दिल्ली
रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण, दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कोंकण रेलवे, मुंबई
आरवीएनएल, नई दिल्ली
कंटेनर कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली
इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली
राइट्स, गुरुग्राम
रेलटेल, नई दिल्ली
आईआरसीटीसी, नई दिल्ली
प्रधान मु. प्रशा. अधिकारी,
पटियाला रेलइंजन कारखाना, पटियाला

विषय: हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड कार्यालय के दिनांक 15.06.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 07.04.2011 का का.ज्ञा. सं 14013/07/2010-राभा(नीति-1) आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवाया गया था। तत्पश्चात, बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 24.06.2020 एवं 23.08.2021 के समसंख्यक पत्रों के तहत इस संबंध में स्मरण भी कराया गया था।

अब इस बारे में संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 04.12.2023 का अ.शा. पत्र सं 14013/04/2022-रा.भा.(नीति) (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुआ है जिसमें हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का आग्रह किया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाएं और की गई कार्रवाई से इस पत्र के जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर अनुपालन रपट बोर्ड कार्यालय को निरपवाद रूप से भिजवाएं ताकि, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को अनुपालन रपट भिजवाई जा सके।

संलग्नक: यथोक्त

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. म. रेलवे,
गदग रोड, हुबली - 580020

Rajbhasha Vibhag
Zonal Head Quarters Office,
Gadag Road, Hubballi-580020

(रिसाल सिंह)
संयुक्त निदेशक, राजभाषा

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-रा.भा.(नीति)

दिनाक 04.12.2023

महोदया / महोदय,

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनाक 26.05.2023, दिनाक 01.12.2022 एवं दिनाक 05.09.2022 और समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनाक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्रों के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषा(ओं) के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

3. आपके ध्यान में पुन: लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

4. अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/स्थापना/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

ANNEXURE – II

दक्षिण पश्चिम रेलवे SOUTH WESTERN RAILWAY
महाप्रबंधक कार्यालय, राजभाषा विभाग, Office of the General Manager, Rajbhasha Department
रेल सौधा, हुब्बल्लि, गदग रोड, Rail Soudha, Hubballi, Gadag Road, -580 020
फोन नं. Phone No. 25034-23-083618, ईमेल E-Mail : srrba.swr.ubl@gmail.com

सं. दपरे/राभा/संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति /6A दिनांक 21-07-2026

मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा), हुब्बल्लि/बेंगलूरु/मैसूरु/DRM(OL), UBL/SBC/MYS
मुख्य कारखाना प्रबंधक (राजभाषा), हुब्बल्लि/मैसूरु/CWM(OL), UBLS/ MYSS
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)/निर्माण संगठन, बेंगलूरु CAO(OL), Con/BNC

विषय : भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ : कार्यपालक निदेशक (स्थापना) एल.एल. रेलवे बोर्ड का दिनांक 14-07-2026 का पत्र संख्या हिंदी-2012/रा.भा.-1/19/01

<<<>>>

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कार्यपालक निदेशक (स्थापना) एल.एल. रेलवे बोर्ड का दिनांक 14-07-2026 का पत्र संख्या हिंदी-2012/रा.भा.-1/19/01 की प्रतिलिपि आपके अवलोकन, सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक अनुपालन/कार्रवाई के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न : यथोक्त

संतोष कुमार 21/7/26.

राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स.के सचिव
Rajbhasha Adhikari & Secy.to PFA
कृते मुराधि / For MRA & PFA

Goutham Ganesh

दक्षिण पश्चिम रेलवे SOUTH WESTERN RAILWAY
महाप्रबंधक कार्यालय, राजभाषा विभाग/Office of the General Manager, Rajbhasha Department
रेल सौधा गदग रोड, हुब्बल्लि ,Rail Soudha, Gadag Road, Hubballi – 580 020
फोन नं .Phone no. 0836-23-25034/18 ईमेल Email:srrba.swr.ubl@gmail.com

सं. दपरे/रा.भा.329/राजभाषा निरीक्षण/112 दिनांक Date: 15.07.2026
No.SWR/OL.329/RBA Insp./112

मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा) हुब्बल्लि
Divisional Railway Manager (Rajbhasha), UBL

विषय : दिनांक 27-06-2026 को धारवाड़ स्टेशन का राजभाषा निरीक्षण रिपोर्ट।

<<<>>>

उपर्युक्त विषय के अंतर्गत यह सूचित किया जाता है कि, दिनांक 27-06-2026 को राजभाषा अधिकारी एवं प्र. वि. स. के सचिव, प्रधान कार्यालय/दपरे द्वारा धारवाड़ स्टेशन का राजभाषा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण का रिपोर्ट आपको सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक अनुपालन/कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

[redacted]

कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित की जाए।

With reference to the above subject, it is hereby informed that, the Rajbhasha Adhikari & Secy.to PFA, HQ/SWR, conducted an Official Language Inspection of Dharwad Station on 27-06-2026. The inspection report is enclosed herewith for your information, guidance, and necessary compliance/action.

You are requested to rectify the deficiencies pointed out in the inspection report at the earliest and take necessary action on the recommendations made therein to ensure full compliance.

संलग्न : यथोपरि

SANTOSH KUMAR
Digitally signed by SANTOSH KUMAR
Date: 2026.07.17 10:36:55 +05'30'

राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स.के सचिव
Rajbhasha Adhikari & Secy.to PFA
कृते मुराधि / For MRA & PFA

प्रतिलिपि : सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सर्व संबंधित को प्रेषित :

1. महाप्रबंधक के सचिव को, महाप्रबंधक/दपरे के सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, हुब्बल्लि के सादर सूचनार्थ।
3. राजभाषा अधिकारी, हुब्बल्लि के सादर सूचनार्थ।
4. स्टेशन प्रबंधक, धारवाड़ के सादर सूचनार्थ।

SOUTH WESTERN RAILWAY

राजभाषा अधिकारी का राजभाषा प्रगति निरीक्षण नोट

श्री संतोष कुमार/ राजभाषा अधिकारी, प्रधान कार्यालय/ दक्षिण पश्चिम रेलवे/ हुब्बल्लि द्वारा दिनांक 27-06-2026 को धारवाड़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन परिसर में राजभाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में किए गए निरीक्षण के नोट्स।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 (2) के अनुसार, केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए रजिस्टरों के प्रारूप एवं शीर्षक, तथा **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 (3)** के अनुसार सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा सामग्री की अन्य मदें हिंदी-अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

According to Rule 11(2) of Official Language Rules-1976, the formats and headings of registers and according to Rule 11(3) of Official Language Rules-1976 all the name-plates, sign boards, Letter-heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government offices, shall be in Hindi and in English.

हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी चाहिए।

In non-Hindi Speaking States, respective Regional Language, Hindi and English should be used in this order for boards, sign boards, name plates and directional indicators.

राजभाषा निरीक्षण के दौरान धारवाड़ रेलवे स्टेशन के परिसर में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में पाई गई कमियां निम्नवत हैं :

1. धारवाड़ स्टेशन परिसर में राजभाषा निरीक्षण के दौरान धारवाड़ स्टेशन परिसर में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार हेतु किए जा रहे कार्य सामान्यतः संतोषजनक पाए गए। तथापि, निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कुछ स्थानों पर स्थापित साइन बोर्ड एवं सूचनापट्ट केवल अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित थे। **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(3)** के अनुसार सभी **साइन बोर्ड एवं सूचनापट्ट स्थानीय भाषा–हिंदी–अंग्रेजी में त्रिभाषी** रूप में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। अतः निम्न संबंधित साइन बोर्ड एवं सूचनापट्टों को नियमानुसार त्रिभाषी रूप में प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करें।

सुधार हेतु अपेक्षित राजभाषा मदें	निम्नानुसार सुधार किया जाए
	ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಠಡಿ विद्युत स्टोर कक्ष ELECTRICAL STORE ROOM

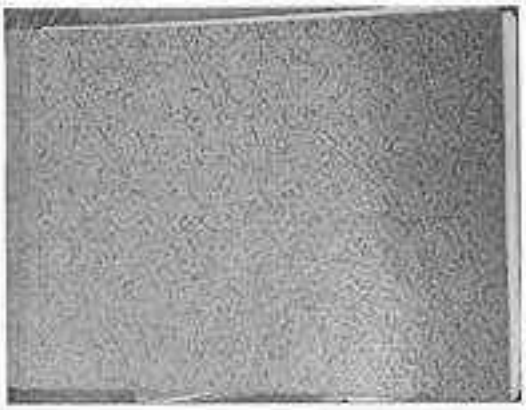
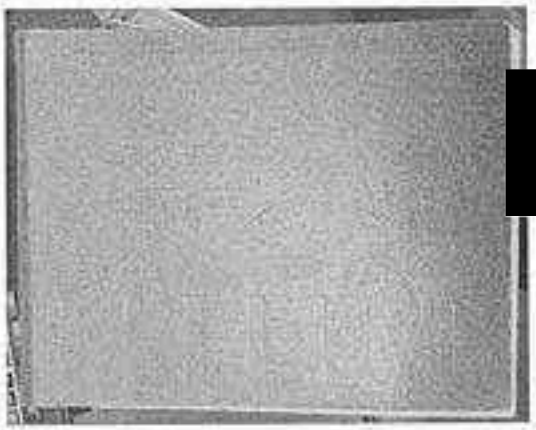
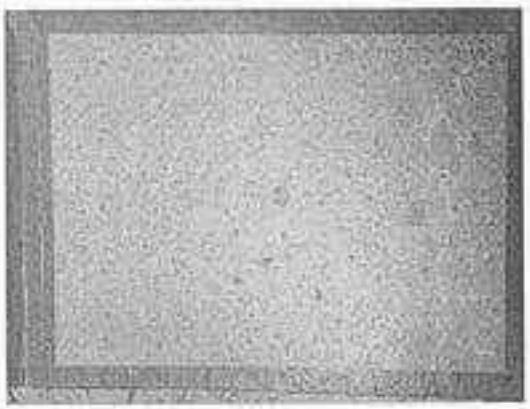
	ಆರ್.ಡಿ.ಎನ್. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ आर डी एन नियंत्रण कक्ष R D N CONTROL ROOM
	ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ನಕ್ಷೆ रेलवे स्टेशन के भूतल का नक्शा-चित्र RAILWAY STATION GROUND FLOOR PLAN
	ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಠಡಿ – 1 विद्युत स्विच कक्ष -1 ELECTRICAL SWITCH ROOM-1
	ಶೌಚಾಲಯ शौचालय TOILET

2. धारवाड़ स्टेशन में राजभाषा निरीक्षण के दौरान धारवाड़ स्टेशन के पार्सल ऑफिस में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार की स्थिति **संतोषजनक** पाई गई। परंतु, निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कुछ रजिस्टरों के शीर्षक केवल अंग्रेजी भाषा में अंकित थे। **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(2)** के अनुपालन में सभी **रजिस्टरों के शीर्षकों को अविलंब द्विभाषी** (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में अंकित कराना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यालयीन कामकाज सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

	NON ISSUED REGISTER बिना जारी किए गए रजिस्टर

SOUTH WESTERN RAILWAY

3. धारवाड़ स्टेशन के पार्सल ऑफिस में निरीक्षण को दौरान यह पाया गया की कई रजिस्टरों पर शीर्षक अंकित नहीं है। अतः राजभाषा नियम 1976 के नियम (2) के अनुपालन में शार्षक द्विभाषी में करना सुनिश्चित किया जाए।

	इस रजिस्टर का शीर्षक हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। Ensure the title of this register in a bilingual Hindi and English.
	[redacted] रूप Ensure the title of this register in bilingual Hindi and English.
	[redacted] Ensure the title of this register in bilingual Hindi and English.
	इस रजिस्टर का शीर्षक हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। Ensure the title of this register in bilingual Hindi and English

SOUTH WESTERN RAILWAY

4. धारवाड़ स्टेशन में निरीक्षण के दौरान जन-सामान्य हेतु लगे डिस्प्ले त्रिभाषी रूप में पाए गए, अतः उक्त व्यवस्था के अनुरूप इस मद का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी डिस्प्ले को त्रिभाषी रूप में किए जाने की आवश्यक कार्रवाई किया जाए।









5. उपस्थिति पंजिका द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।

निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध उपस्थिति पंजिका द्विभाषी रूप में पाए गए। जो संतोषजनक है।





6. स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध रजिस्टर का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध रजिस्टर के शीर्षक द्विभाषी रूप में पाए गए। अतः उक्त व्यवस्था के अनुरूप इस मद का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अंकित किए जाने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएं।



7. स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध मुहर

निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध मुहर द्विभाषी रूप में पाए गए। अतः इस मद का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। जो संतोषजनक है।



8. स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध स्टेशन संचालन नियम

निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, धारवाड़ में उपलब्ध धारवाड़ स्टेशन एवं क्यारकोप्पा स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम द्विभाषी रूप में पाए गए। अतः उक्त व्यवस्था के अनुरूप इस मद का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष **नवलूर स्टेशन** का **स्टेशन संचालन नियम** को भी द्विभाषी रूप में किए जाने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएं।



SOUTH WESTERN RAILWAY

नोट :

1. <u>सूचनापट्टों में हिंदी का प्रयोग:-</u> धारवाड़ स्टेशन के स्टेशन परिसर में उपलब्ध कुछ सूचनापट्ट कन्नड़-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषी में पाए गए। परंतु कुछ **सूचनापट्ट** केवल अंग्रेजी में पाए गए, अतः, इस मद का अनुपालन करते हुए सभी सूचनापट्टों को **कन्नड़-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषी** रूप में किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

2. <u>फाइलों/रजिस्टरों के प्रारूप एवं शी र्षक और प्रविष्टियां:-</u> कार्यालय में उपलब्ध अधिकांश फाइलों एवं रजिस्टरों में कवर पेज पर शीर्षक हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में पाए गए। परंतु **पार्सल ऑफिस के कुछ रजिस्टरों/फाइलों** में किसी भी भाषा में कोई शीर्षक नहीं पाए गए। कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों में प्रविष्टियां आंशिक रूप से द्विभाषी में पाए गए। कृपया **महाप्रबंधक कार्यालय, दपरे का दिनांक 04-06-2026 का पत्र सं. GM/SWR/Instruction/2026-2 (प्रतिलिपि संलग्न)** का अवलोकन करें, जिसमें कार्यालय में उपलब्ध सभी रजिस्टरों के शीर्षक हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी में रखने का निर्देश दिया गया है। अतः इस मद का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शेष सभी रजिस्टरों के शीर्षक **हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी** रूप में अंकित किए जाएँ तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रजिस्टरों में **प्रविष्टियाँ हिंदी में** किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण टिप्पणी में उल्लिखित कमियां केवल सांकेतिक हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी **'कार्यालय प्रमुख' (Head of Office)** की होती है। उन्हें प्रत्येक रेलवे स्टेशन/कार्यालय में इन प्रावधानों को लागू करने और उनके उचित पालन के लिए प्रभावी 'चेकप्वाइंट' (जांच बिंदु) स्थापित करने की आवश्यकता है।

The deficiencies mentioned in the Inspection Note are only indicative. It is noteworthy to mention here that according to Rule 12 of the Official Language Rules, 1976, the responsibility for ensuring compliance with the Official Language Act and Rules is on the Head of the Office. They are required to implement these provisions at every railway station/office and establish effective 'checkpoints' to ensure their proper adherence.

<u>अभ्युक्ति :</u>

यद्यपि धारवाड़ रेलवे स्टेशन परिसर एवं उसके अन्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का कार्य **संतोषजनक पाया गया**, तथापि कुछ मदों में अनुपालन **अपेक्षित** है। अतः निरीक्षण रिपोर्ट के आधार [redacted] सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुब्बल्लि को प्रेषित किया जाए।

The use of Official Language Hindi at Dharwad Railway Station and its associated offices was found to be generally satisfactory. However, compliance in certain areas still requires attention. It is therefore requested that the deficiencies identified in the inspection report be rectified expeditiously and that the necessary action be taken on the recommendations made therein to ensure full compliance.

Further, appropriate measures may be undertaken to promote the progressive use of Official Language Hindi. An Action Taken Report indicating the compliance achieved may kindly be forwarded at the earliest to the Rajbhasha Department, Headquarters, South Western Railway, Hubballi.

SANTOSH KUMAR

Digitally signed by SANTOSH KUMAR
Date: 2026.07.17 10:37:34 +05'30'

राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स.के सचिव
Rajbhasha Adhikari & Secy.to PFA
कृते मुराधि / For MRA & PFA

सं.दपरे/रा.भा.329/राजभाषा निरीक्षण/112

दिनांक: 15-07-2026

प्रतिलिपि : सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सर्व संबंधित को प्रेषित :

1. महाप्रबंधक के सचिव को, महाप्रबंधक/दपरे के सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, हुब्बल्लि के सादर सूचनार्थ।
3. राजभाषा अधिकारी, हुब्बल्लि के सादर सूचनार्थ।
4. स्टेशन प्रबंधक, धारवाड़ के सादर सूचनार्थ।

SOUTH WESTERN RAILWAY

दक्षिण पश्चिम रेलवे/SOUTH WESTERN RAILWAY

दिनांक : 15-07-2026

श्री संतोष कुमार, राजभाषा अधिकारी एवं **प्र. वि. स. के सचिव**, दपरे, हुब्बल्लि द्वारा दिनांक 27-06-2026 को धारवाड़ स्टेशन एवं इसके स्टेशन मास्टर कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा कार्यालय में **श्री अरविंद कुमार, स्टेशन मास्टर, धारवाड़** उपस्थित थे।

उक्त कार्यालय का निरीक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	मदें	द्विभाषी/ त्रिभाषी	
1	सभी नाम/नोटिस बोर्ड	त्रिभाषी में उपलब्ध है।	
2	स्टेशन नाम बोर्ड	त्रिभाषी में उपलब्ध है।	
3	स्टेशन संचालन नियम	**स्टेशन का नाम**	**स्टेशन संचालन नियम**
		धारवाड़	द्विभाषी
		क्यारकोप	द्विभाषी
		नवलूर	केवल अंग्रेजी
4	गेट संचालन नियम	लागू नहीं	
5	जनसूचना बोर्ड तथा जनसूचना व यात्रियों से संबंधित अन्य बोर्ड	त्रिभाषी में उपलब्ध है।	
6	रजिस्टरों व फाइलों के शीर्षक	द्विभाषी में उपलब्ध है।	
7	सभी रबर स्टैंप/सील	द्विभाषी में उपलब्ध है।	
8	सभी कंप्यूटर	वर्तमान में केवल 01 कंप्यूटर उपलब्ध है, जिसका उपयोग केवल Data Logger (COA) संबंधी कार्यों के लिए किया जा रहा है।	
9	उपस्थिती रजिस्टर में कर्मचारियों के नाम व पदनाम	द्विभाषी में उपलब्ध है।	
10	नाम व पदनाम बैज	द्विभाषी में उपलब्ध है।	
11	धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज	लागू नहीं।	
12	पी. ए. सिस्टम पर घोषणा	त्रिभाषी में होते हैं।	
13	नक्शे/आरेख आदि	त्रिभाषी में उपलब्ध है।	
14	अतिरिक्त किराया टिकट रसीदें	लागू नहीं।	
15	आरक्षण चार्टों में हिंदी का प्रयोग	लागू नहीं।	
16	रजिस्टरों/डायरियों में हिंदी में प्रविष्टियां	उस्थिति पंजिका द्विभाषी है तथा कुछ रजिस्टरों में केवल शीर्षक हिंदी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में है।	

SANTOSH KUMAR

Digitally signed by SANTOSH KUMAR
Date: 2026.07.17 10:37:57 +05'30'

राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स.के सचिव
Rajbhasha Adhikari & Secy.to PFA
कृते मुराधि / For MRA & PFA

राजभाषा अधिकारी का राजभाषा प्रगति निरीक्षण नोट-01/2026

राजभाषा अधिकारी/हुब्बल्लि मंडल/दपरे द्वारा 21-03-2026 को
वास्को-द-गामा रेलवे स्टेशन के स्टेशन परिसर में
राजभाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में किए गए निरीक्षण के नोट्स।

*****

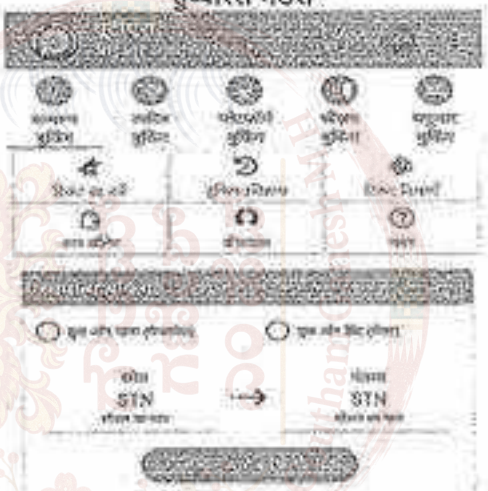
राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा सामग्री की अन्य मदें हिंदी अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

According to Rule 11(3) of Official Language Rules-1976, All the name-plates, Sign boards, Letter-heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government offices, shall be in Hindi and in English.

हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी चाहिए।

In non-Hindi speaking States, respective Regional Language, Hindi and English should be used in this order for boards, sign boards, name plates and directional indicators.

<u>राजभाषा निरीक्षण के दौरान वास्को-द-गामा रेलवे स्टेशन के परिसर में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में पाई गई कमियां निम्नवत हैं:-</u>

क्रमं.	<u>वास्को-द-गामा</u> के <u>परिसर</u> में उपलब्ध बोर्ड। Boards displayed at Vasco-da-Gama Railway Station:	
	सुधार आपेक्षित राजभाषा मदें:	निम्नानुसार सुधार किया जाए:
1		दक्षिण पश्चिम रेलवे हुब्बल्लि मंडल 
2		गौरी एंटरप्राइज अमानती सामान घर प्रति पैकेज 1) पहले 24 घंटे या उसके भाग के लिए रु.30/- 2) बाद के 24 घंटे या उसके भाग के लिए रु.40/-

SOUTH WESTERN RAILWAY

SOUTH WESTERN RAILWAY

3		सही काम करो
4		स्टेशन प्रबंधक

निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेखित कमियां केवल सांकेतिक हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि **राजभाषा नियम, 1976** के नियम 12 के अनुसार, राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी **'कार्यालय प्रमुख'** (Head of Office) की होती है। उन्हें प्रत्येक रेलवे स्टेशन/कार्यालय में इन प्रावधानों को लागू करने और उनके उचित पालन के लिए प्रभावी 'चेकप्वाइंट' (जांच बिंदु) स्थापित करने की आवश्यकता है।

The deficiencies mentioned in the Inspection Note are only indicative. It is noteworthy to mention here that according to **Rule 12 of the Official Language Rules, 1976,** the responsibility for ensuring compliance with the Official Language Act and Rules is on the **Head of the Office.** They are required to implement these provisions at every railway station/office and establish effective checkpoints to ensure their proper adherence.

कृपया इस निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने एवं सुझाई गई मदों पर क्रिया-वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट **06.05.2026** तक राजभाषा शाखा, हुब्बल्लि मंडल को भिजवाने का कष्ट करें।

Kindly take immediate action to rectify the deficiencies noted in this inspection report and implement the suggested items. Furthermore, a compliance report of the actions taken should be sent to the Rajbhasha Branch, Hubballi Division, by **06.05.2026.**

(अनिल कुमार / **Anil Kumar**)
राजभाषा एवं विधि अधिकारी/हुब्बल्लि
Rajbhasha & Law Officer/UBL

सं.एच/पी.329/राधि निरीक्षण/89
दिनांक: **25.03.2026**

प्रतिलिपि:

1. मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका/दपरे/हुब्बल्लि,MRA/HQ/SWR/UBL को सादर सूचनार्थ।
2. अमुराधि एवं अमरेप्र(सा.)/हुब्बल्लि, AMRA & ADRM(G)/UBL को सादर सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/वास्को-द-गामा स्टेराभाकास एवं सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी/वास्को-द-गामा, Chairman/VSG OLIC & ADMO/VSG को सादर सूचनार्थ।
4. उपाध्यक्ष/वास्को-द-गामा स्टेराभाकास एवं स्टेशन प्रबंधक/वास्को-द-गामा Vice-Chairman/VSG OLIC & SMR/VSG को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।

दक्षिण पश्चिम रेलवे/South Western Railway

दिनांक: 24.02.2026

श्री सुप्रमनी स्वामी, राजभाषा अधिकारी/बैंगलूरु द्वारा दिनांक 28.01.2026 को स्टेशन मास्टर कार्यालय/सोलूर का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा कार्यालय में श्री रामावतार मीना, स्टेशन मास्टर और नरेंद्र कुमार, पाइंट्समेन उपस्थित थे। उक्त कार्यालय का निरीक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	मदें	द्विभाषी/त्रिभाषी में
1	सभी नाम/नोटिस बोर्ड	त्रिभाषी उपलब्ध है।
2	स्टेशन नाम बोर्ड	त्रिभाषी उपलब्ध है।
3	स्टेशन संचालन नियम	द्विभाषी में उपलब्ध है।
4	गेट संचालन नियम	लागू नहीं है।
5	जनसूचना बोर्ड तथा जनसूचना व यात्रियों से संबंधित अन्य बोर्ड	त्रिभाषी उपलब्ध है।
6	रजिस्टरों व फाइलों के शीर्षक	द्विभाषी में उपलब्ध है।
7	सभी रबर स्टैंप/सील	द्विभाषी में उपलब्ध है ।
8	सभी कंप्यूटर	द्विभाषी में उपलब्ध है।
9	उपस्थिती रजिस्टर में कर्मचारियों के नाम व पदनाम	द्विभाषी में उपलब्ध है।
10	नाम व पदनाम बैज	द्विभाषी में उपलब्ध है।
11	धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज	लागू नहीं है।
12	पी. ए. सिस्टम पर घोषणा	त्रिभाषी होती है।
13	नक्शे/आरेख आदि	लागू नहीं हैं।
14	अतिरिक्त किराया टिकट रसीदें	लागू नहीं है।
15	आरक्षण चार्टों में हिंदी का प्रयोग	लागू नहीं है।
16	रजिस्टरों/डायरियों में हिंदी में प्रविष्ठियाँ	द्विभाषी में उपलब्ध हैं।

प्रतिलिपि/Copy to: SM/SOLR

24/2/26

वरि.राजभाषा अधिकारी/बैंगलूरु

SOUTH WESTERN RAILWAY

दक्षिण पश्चिम रेलवे
SOUTH WESTERN RAILWAY

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना शाप / कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण के लिए चैक लिस्ट CHECK LIST FOR RAJBHASHA INSPECTION IN CRWS OFFICES	
निरीक्षण अधिकारी का नाम: Name of the Officer Inspecting	श्री महेश गडकरी
पदनाम/ Designation	उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
निरीक्षण की तारीख Date of Inspection	12.02.2026
निरीक्षित कार्यालय का नाम /Inspected Office	कार्मिक शाखा (संवर्ग अनुभाग)

*****

स./S.No.	मद/Item	Mark ✓ लगाएं
1	द्विभाषी नाम पदनाम बैज Bilingual Name/Designation Badges.	✓हां /नहीं Yes/No
2	द्विभाषी कंप्यूटर की व्यवस्था Provision of bilingual computers.	✓हां /नहीं Yes/No
3	रजिस्टरों/डायरियों में हिंदी में प्रविष्टियां Entries in Hindi Registers Diaries	✓हां /नहीं Yes/No
4	नाम बोर्ड/सूचना बोर्ड द्विभाषी/त्रिभाषी Whether Name boards/Information boards are in bilingual/trilingual	✓हां /नहीं Yes/No
5	द्विभाषी रबड की मोहरें/सीलें Bilingual Rubber Stamps/Seals	✓हां /नहीं Yes/No
6	कार्यालय आदेश/परिपत्र/आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में जारी होते हैं. Office orders Circulars/Reservation Charts issued In bilingual form.	✓हां /नहीं Yes/No
7	विभाग बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत द्विभाषी रूप में Agenda/Minutes of Departmental meetings in bilingual form	हां /नहीं✓ Yes/No
8	विवरण / Statements	✓हां /नहीं Yes/No
9	a. <u>NOTE:</u> संवर्ग अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि सभी कार्यालय आदेश, जापन, स्थानांतरण आदेश तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज द्विभाषी रूप (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में ही जारी किए जाएँ। b. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी पत्रों/दस्तावेजों का पृथक धारा 3(3) फाइल में सुव्यवस्थित संधारण किया जाए, ताकि निरीक्षण के समय उसे आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। c. धारा 3(3) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी दस्तावेज को केवल एक भाषा में जारी न किया जाए।	

SOUTH WESTERN RAILWAY

	d. सभी सेवा अभिलेख, वरिष्ठता सूची, पदस्थापन आदेश एवं पदोन्नति संबंधी आदेश यथासंभव द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएँ। e. कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्टर, नामपट्ट, सूचना पट्ट एवं रबड़ मोहरें द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाएँ तथा उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। f. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ पत्राचार राजभाषा नियमों के अनुरूप हिंदी में किया जाए तथा संबंधित अभिलेख पृथक रूप से संधारित किए जाएँ। g. कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा हिंदी टंकण एवं ई-ऑफिस कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। h. राजभाषा से संबंधित अभिलेख, प्रतिवेदन एवं प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर अद्यतन रखी जाएँ तथा निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने हेतु तैयार रखी जाएँ।

प्रतिलिपि-
का का धि/हुब्बल्लि कारखाना
मु का धि/ हुब्बल्लि कारखाना

(महेश गडकरी)
उप मुराधि / उप मुकाप्र / हुब्बल्लि कारखाना
DY.MRA / DY.CWM / UBLS
उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
Dy. Chief Workshop Manager
स.डि.म.का/ हुबली/ द.प.रेलवे.
C.R.W.S./HUBLI/S.W.Rly.

दक्षिण पश्चिम रेलवे

SOUTH WESTERN RAILWAY

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना शाप / कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण के लिए चैक लिस्ट CHECK LIST FOR RAJBHASHA INSPECTION IN CRWS OFFICES	
निरीक्षण अधिकारी का नाम: Name of the Officer Inspecting	श्री महेश गडकरी
पदनाम/ Designation	उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
निरीक्षण की 'तारीख Date of Inspection	12.02.2026
निरीक्षित कार्यालय का नाम /Inspected Office	सवारी डिब्बा शॉप

*****

स./S.No.	मद/Item	Mark ✓ लगाएं
1	द्विभाषी नाम पदनाम बैज Bilingual Name/Designation Badges.	✓हां /नहीं Yes/No
2	द्विभाषी नक्शे/आरेख आदि Bilingual Maps/Drawings etc.	हां /नहीं✓
3	रजिस्टरों/डायरियों में हिंदी में प्रविष्टियां Entries in Hindi Registers Diaries	✓हां /नहीं Yes/No
4	नाम बोर्ड/सूचना बोर्ड द्विभाषी/त्रिभाषी Whether Name boards/Information boards are in bilingual/trilingual	✓हां /नहीं Yes/No
5	द्विभाषी कंप्यूटर की व्यवस्था Provision of bilingual computers.	✓हां /नहीं
6	'क' तथा 'ख क्षेत्र के साथ हिंदी में पत्राचार Correspondence in Hindi with A & B region	हां /नहीं✓ Yes/No
7	द्विभाषी रबड़ की मोहरें/सीलें Bilingual Rubber Stamps/Seals	✓हां /नहीं Yes/No
8	कार्यालय आदेश/परिपत्र/आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में जारी होते हैं. Office orders Circulars/Reservation Charts issued in bilingual form.	हां /नहीं✓
9	विवरण / Statements	✓हां /नहीं
10	अन्य कोई मद / Any other item - नोट- a. सामग्री रजिस्टर में प्रविष्टियाँ हिंदी में ही की जाएँ। b. पत्राचार के संबंध में सभी पत्र द्विभाषी रूप (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में जारी किए जाएँ तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी पत्रों हेतु पृथक धारा 3(3) फाइल का सुव्यवस्थित संधारण किया जाए। c. कार्यालय में प्रयुक्त सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ मोहरें एवं सीलें द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाएँ तथा उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। d. कार्यालय आदेश, परिपत्र, नोटिस एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाएँ तथा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए।	

(महेश गडकरी)

उप मुराधि / उप मुकाप्र / हुब्बल्लि कारखाना

DY.MBA / DY.CWM / UBLS

उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
Dy. Chief Workshop Manager
म.डि.म.का/हुबली/द.प.रेलवे.
C.R.W.S./HUBLI/S.W.Rly.

SOUTH WESTERN RAILWAY

दक्षिण पश्चिम रेलवे / SOUTH WESTERN RAILWAY

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग, "रेल सौधा"
गदग रोड, हुब्बल्लि – 580 020
फोन नं. 0836-23-25034/20
ई-मेल: ba.swr.ubl@gmail.com

General Manager`s Office
Rajbhasha epartment,"RailSoudha"
Gadag Road, Hubballi - 580 020
Phone No. 0836-23-25034/20
E-mail : srrba.swr.ubl@gmail.com

सं. दपरे/रा.भा .329/संसदीय राजभाषा समिति/6बी

दिनांक/Date : 05.02.2026

मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा) हुब्बल्लि, बेंगलूरु, मैसूरु
मुख्य कारखाना प्रबंधक (राजभाषा) हुब्बल्लि, मैसूरु
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) निर्माण संगठन बेंगलूरु छावनी.

विषय:-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें राजय सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किए जाने के संबंध में.

संदर्भ:-रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.02.2026 का पत्र सं. हिंदी2021/रा.भा.1/8/1

<<<<0>>>>

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड कार्यालय का संलग्न पत्र अवलोकन करें, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में प्रयुक्त बोर्डों, साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों आदि पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रिभाषा नीति के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग तथा हिंदीतर भाषी राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्डों, नामपट्टों दिशा-संकेतकों आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग सुनिश्चित करने के संबंध में निदेश दिया गया था.

अतः आपसे अनुरोध है कि बोर्ड कार्यालय के संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों पर विशेष ध्यान देते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रिभाषा नीति का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें.

संलग्नक : यथोक्त.

Digitally Signed by
सचिन रा. जैन SACHIN R JAIN
Date: 05-02-2026 11:03:38

(सचिन रा. जैन / Sachin R Jain)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी / प्र.का.
Sr. Rajbhasha Adhikari / HQ

कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुसिवदूसंइंजी.

प्रतिलिपि: संयुक्त निदेशक राजभाषा, रेलवे बोर्ड के सादर सूचनार्थ.

SOUTH WESTERN RAILWAY

अनुलग्नक/Annexure-11

(2)

दक्षिण पश्चिम रेलवे/South Western Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग, "रेल सौधा"
गदग रोड, हुब्बल्लि - 580 020
फोन नं. 0836-23-25034/20
ई-मेल: srrba.swr.ubl@gmail.com

General Managers' Office
Rajbhasha Department, "Rail Soudha"
Gadag Road, Hubballi - 580 020
Phone No. 0836-23-25034/20
E-mail : srrba.swr.ubl@gmail.com

सं. दपरे/रा.भा.329/ राजभाषा निरीक्षण/112

दिनांक: 29.01.2025

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण,
बैंगलूरु छावनी, बैंगलूरु

विषय: दिनांक 21.01.2025 को राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/प्रका/दपरे द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/कार्यालय, बैंगलूरु छावनी का निरीक्षण।

******

दिनांक 21.01.2025 को वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/प्रधान कार्यालय द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण कार्यालय का निरीक्षण राजभाषा अधिकारी की उपस्थिति में किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1. <u>धारा 3(3) का अनुपालन:</u> राजभाषा अधिकारी के साथ कार्मिक, लेखा भंडार और अन्य शाखाओं में राजभाषा का काम देखा गया और पाया गया यहां धारा 3(3) का नियमानुसार अनुपालन हो रहा है। प्रसन्नता की बात है कि कार्यालय में कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति बहुत उत्साह है।
2. <u>हिंदी में मूल पत्राचार:</u> मानक प्रकार के पत्रों के द्विभाषी टेंपलेटों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जो सराहनीय है। हर्ष की बात है कि अधिकांश कर्मचारी अपना काम द्विभाषी में और टाइपिंग कार्य स्वयं करते हैं।
3. <u>हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर:</u> निरीक्षण के दौरान देखा गया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर उचित तरीके से रखरखाव किया गया है। इस संबंध में बताया गया कि मात्र हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर ही हिंदी/द्विभाषी में दिए गए हैं।
4. <u>हिंदी में नोटिंग:</u> अधिकतर कर्मचारी छोटी-छोटी नोटिंग स्वयं हिंदी या द्विभाषी में लिख रहे हैं और अधिकारीगण भी हिंदी में आदेश या अभ्युक्तियां लिखते हैं, जो सराहनीय है।
5. <u>उपस्थिति रजिस्टर:</u> उपस्थिति रजिस्टर में शीर्षक सहित सभी कर्मचारियों के नाम व पदनाम लिखे हुए पाए गए।

SOUTH-WESTERN RAILWAY

6. <u>नामपट्ट/सूचनापट्टों में हिंदी का प्रयोग:</u> कार्यालय के बाहर तथा अंदर प्रदर्शित नाम एवं पदनाम बोर्ड, सूचना बोर्ड कन्नड-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषी पाए गए।
7. <u>फाइलों/रजिस्टरों के शीर्षक और प्रविष्टियां:</u> कार्यालय में उपलब्ध सभी फाइलों एवं रजिस्टरों और सेवा-अभिलेखों के कवर पर शीर्षक हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी पाए गए। कुछ रजिस्टरों में प्रविष्टियां अंग्रेजी में पाई गईं, इसलिए उन्हें भी द्विभाषी में बनाने के लिए कहा गया।
8. <u>रबड़ की मोहरें:</u> कार्यालय में उपयोगाधीन सभी रबड़ की मोहरें द्विभाषी में पाई गईं।
9. <u>कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य:</u> कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सक्षमता है और कर्मचारीगण राजभाषा हिंदी में कार्य करते हैं।
10. <u>अधिसूचित कार्यालय:</u> कार्यालय में उपलब्ध हिंदी भाषा रोस्टर से यह ज्ञात होता है कि कार्यालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसरण में अधिसूचित कार्यालय घोषित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करनी चाहिए।

<u>अभ्युक्तियां:</u>

कार्यालय में राजभाषा का कार्य संतोषजनक है, लेकिन इसमें और तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास करें.
2. विभागाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ राजभाषा समीक्षा बैठकें आयोजित कराएं, ताकि कर्मचारियों के साथ राजभाषा में विचार-विमर्श हो सके।
3. हिंदी में तकनीकी सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करें।

अनुरोध है कि संबंधित मदों पर आवश्यक कार्रवाई कराएं और की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

Digitally signed by सचिन रा जैन Sachin R Jain
Date: 2025.01.29 11:32:48 +05'30'

(सचिन रा जैन /Sachin R Jain)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/Sr. Rajbhasha Adhikari

प्रतिलिपि:

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुसिवदूईजी/दपरे/हुब्बल्लि को सादर सूचनार्थ।

File No.SWR-MYSS0ELEC(DEOF)/29/2023-O/o CHOS/PB/MYSS/SWR

154

दक्षिण पश्चिम रेलवे /SOUTH WESTERN RAILWAY

मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय
केन्द्रीय कारखाना
मैसूर दक्षिण
फैक्स: 0821-2480800

Office of the Chief Workshop Manager
Central Workshop,
Mysore South.
Fax : 0821-2480800

सं.एस/ई.329/हिन्दी

दिनांक/date:- 04/03/2024

मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं
प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक
दपरे / हुब्बल्लि

विषय : हिन्दी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा - संकेतों पर हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

***

उपरोक्त विषय में केंद्रीय कारखाना, मैसूर दक्षिण के सभी नाम पट्ट तीन भाषाओं में प्रदर्शित किया गया है, जैसे

1. प्रादेशिक भाषा - कन्नड़
2. राजभाषा - हिन्दी
3. अंतर्राष्ट्रीय भाषा - अंग्रेज़ी

उक्त वरीयता के अनुसार सभी नामपट्ट तैयार किया गया है। केंद्रीय कारखाना, मैसूर दक्षिण में इसका अनुपालन किया जा रहा है।

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए।

Digitally Signed by D Ravishankar
Date: 04-03-2024 16:45:07
Reason: Approved

(डी रविशंकर/DRAVISHANKAR)
उप मुराधि एवं मं.वि.अ.
Dy.M R A &DEE

प्रति : मु.का.प्र. के व्य.स. - मु.का.प्र. के सादर सूचनार्थ

Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office,
SWR, Gadag Road, Hubballi-580020

SOUTH WESTERN RAILWAY

BNC

152

दक्षिण पश्चिम रेलवे
South Western Railway

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण का कार्यालय,
O/O the CAO/CN/BNC,
राजभाषा अनुभाग/Rajbhasha Anubhag,

सं.पी (नि)329/हिंदी/ नीति /01
No. P(CN) 329/Hindi /policy /01

दिनांक 04.03.2024

मुख्य राजभाषा अधिकारी
प्रधान कार्यालय/द प रे /हुबली

विषय – हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों , नाम पट्टों और दिशा -संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग , जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

संदर्भ – रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी 2011/रा भा.1/8/1 दिनांक 08.02.2024

****

उपरोक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि निर्माण संगठन /दक्षिण पश्चिम रेलवे के सभी कार्यालयों में जनता की सूचना के लिए लगाए गए सभी नाम पट्ट व सूचना पट्टों में सबसे पहले प्रादेशिक भाषा कन्नड़ , फिर हिंदी तदुपरांत अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है। अक्षरों (फॉंटों)का आकार भी एक बराबर प्रदर्शित किया गया है।

कृपया सूचना व आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित।

04/3/2024
(एस . सविता)
राजभाषा अधिकारी /निर्माण /बे छा

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुबलीधार-580020
101
Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office,
SWR, Gadag Road, Hubballi-580020

Scanned with OKEN Scanner
SOUTH WESTERN RAILWAY